न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 38/2018 RCMS No.—2018/00041

1. शान्ति देवी पत्नी देवकश पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण आयु 55 साल, जाति रैगर, निवासी प्लाट नं 48, करतारपुरा, जयपुर (राज.)।
2. नानगी देवी पत्नी किशन पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण आयु 57 साल, जाति रैगर, निवासी ग्राम गोपालगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)।
2. मनफूली देवी पत्नी बालू पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण आयु 49 साल जाति रैगर, निवासी ग्राम गोपालग, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. नारायण पुत्र तेजाराम, आयु 62 साल, जाति रैगर, निवासी रैगरो का मोहल्ला, ग्राम पंचायत जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत जमवारामगढ पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज.)

.............विपक्षीगण

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 20.01.1990 ग्राम पंचायत जमवारामगढ पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर की पत्रावली संख्या 148/1989 दिनांक 20.01.1990

उपस्थितः–

1. श्री जगमोहन आलोरिया अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री एन.के.व्यास अधिवक्ता निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.01.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जमवारामगढ, पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय/आदेश दिनांक 20.01.1990 जिसके आधार पर दिनांक 26.09.1996 को ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा नारायण पुत्र तेजाराम जाति रैगर,निवासी ग्राम जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा क्षेत्रफल 397 वर्गगज जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण ज़ारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री एन.के.व्यास अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या–2 ग्राम पंचायत जमवारामगढ की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ न्यायालय उनके पत्रांक 645 दिनांक 11.06.2018 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जमवारामगढ का आदेश विधि विरुद्व एवं पत्रावली पर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया तथा स्थानीय वार्ड पंच से मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी तथा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एवं केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षरो से जारी कर दिया। ग्राम पंचायत की पत्रावली में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा पट्टा चाहने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है। पंचायती राज अधिनियम के नियम 145 एवं 146 की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई एवं वार्ड पंच गण से मौका निरीक्षण रिपोर्ट नहीं मंगवायी गयी। निगरानीधीन पट्टे की भूमि निगरानीकर्ता के पिता के कब्जे व अधिकार की भूमि है जिस पर वर्तमान में भी निगरानीकर्ता ही काबिज है। निगरानीकर्ता के पिता ने निगरानीकर्ता एवं उसके भाईयों ने गैर निगरानीकार संख्या 1 से कहा कि निगरानीकर्ता के पिता द्वारा आपसे कोई पैसा उधार लिया हो तो हम चुकाने को तैयार है जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने निगरानीकर्ता को बाद में आने को कहा। अप्रार्थी संख्या एक ने ना तो उधार दिये गये रूपये निगरानीकर्ताओ से ने लिये एवं ग्राम पंचायत से निगरानीकर्ता के कब्जे व अधिकार की भूमि का पट्टा जारी करवा लिया। अतः निगरानीकर्ताओ की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 20.09.1990से जारी पट्टा दिनांक 26.09.1996 पट्टा निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक द्वारा दौराने बहस अपने जवाब को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित सम्पत्ति से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की गयी है। निगरानी में निगरानीकर्ताओ द्वारा कौनसा भूखण्ड है, कितने वर्गगज का है, उसकी सीमायें, स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। निगरानीकर्ताओ द्वारा तथाकथित रहन की गयी भूसम्पत्ति के तथ्य गलत है। निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत जमवारामगढ क्षेत्र के निवासी नही है उनके समस्त परिचय पत्र राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि निगरानी के शीर्षक में दिये निवास स्थान के बने हुये है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं आने के पश्चात दिनांक 26.09.1996 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर गैर निगरानीकार संख्या 1 आदिनांक तक काबिज चले आ रहे है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। निगरानीकर्ताओ द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा गैर निगरानीकार के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए मौका कमेटी गठित की जिसके कम में दिनांक 25.09.1989 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। सहायक सचिव द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया गया। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विकय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र दिनांक 18. 11.89 को जारी किया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत जमवारामगढ के आदेश दिनांक 20.01.1990 के द्वारा गैर निगरानीकार संख्यां 1 के हक में प्रति वर्गगज 2 रूपये से 794 रूप्ये पट्टा जमा होने पर उक्त विवादित सम्पत्ति का पट्टा दिनांक 26.09.1996 को जारी किया। निगरानीकर्ता का कथन गलत है कि गैर निगरानीकार ने विवादित पट्टे के आवेदन के लिए ग्राम पंचायत में कोई आवेदन नहीं किया तथा निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ताओं की विवादित सम्पत्ति पैतृक है व निगरानीकार का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली बनाई गई है व नियमानुसार आपत्ति नोटिस निकाला गया है एवं पंचायत मीटिंग में दिनांक 20.01.1990 को गैर निगरानीकर्ता के हक में पटटा जारी करने का निर्णय लिया गया है। च

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ताओ की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर